

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी,

प्रारम्भिक शिक्षा, बूंदी

द्वारा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी

विषय – फीस पोर्टल नहीं भरने वाले स्कूलों का आरटीई भुगतान नहीं करने के आदेश वापस लेने के क्रम मे ।

प्रसंग – ब्लॉक प्राठीश शिक्षा अधिकारी..... द्वारा पत्र प्राप्त होने के उपरान्त

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग मे वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है --

1. हमारी संस्था का संचालन एक पंजिकृत समिति करती है जिसकी कार्यकारणी ने पोर्टल भरने मे आ रही समस्याओं / विसंगतियों पर एक पत्र लिख कर फीस कमेटी से मॉगदर्शन मॉगा गया था, जिसका जवाब आज तक अप्राप्त है ।
2. जवाब नहीं आने के चलते पोर्टल नहीं भरा गया और ना ही भरा जायेगा ।
3. जहाँ तक आरटीई के बच्चो के पुन : भरण की किस्त का भुगतान रोकने की बात है तो यह आरटीई नियमों का उल्लंघन होगा , जो सरकार चाहे तो करे । हम तो पुन : भरण नहीं मिलने पर अभिभावक को नोटिस दे कर भुगतान प्राप्त कर लेगे ।
4. क्योंकि फीस हमे कोई दान मे नहीं मिलती बल्कि संविधान ने सोसायटी को पढाने के बदले फीस लेने का कानूनी हक दिया है ।
5. अच्छा होता कि आप फीस कमेटी को जवाब देने के लिए कहते , लेकिन अपनी गलती छुपा कर दूसरो को दोष देना उचित नहीं है ।

यदि आपके कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई स्पष्टीकरण नहीं जारी किया गया तो आपके कार्यालय के अधिकारी के विरुद्ध पद के दुरुप्योग का अभियोग लाया जायेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होगे ।

सचिव